

**राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम)
(संशोधन) विधेयक, 2022**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1992 के राजस्थान अधिनियम सं. 27 की धारा 8 का संशोधन.- राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम सं. 27) की धारा 8 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आवश्यक समझे और" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "राज-पत्र में प्रकाशित" से पूर्व, अभिव्यक्ति ", किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची से अपवर्जित कर सकेगी और" अंतःस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग पर नियंत्रण के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 अधिनियमित किया था।

पूर्वोक्त अधिनियम की विद्यमान धारा 8 यह उपबंधित करती है कि राज्य सरकार ऐसी किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची में सम्मिलित कर सकेगी, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करना आवश्यक समझे। किन्तु उक्त अधिनियम की अनुसूची से किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के अपवर्जन के लिए कोई उपबंध नहीं है।

यह समीचीन समझा गया है कि यदि राज्य सरकार का यह विचार है कि किसी सार्वजनिक परीक्षा को नयी अधिनियमिति द्वारा शासित किया जाये तो राज्य सरकार के पास उक्त अधिनियम की अनुसूची से किसी सार्वजनिक परीक्षा को अपवर्जित करने की शक्ति भी होनी चाहिए।

1992 के अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव के साथ राज्य सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए संचालित सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के प्रकटन और अनुचित साधनों के उपयोग के अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रभावी अध्यापयों का उपबंध करने के लिए एक नया विधेयक ला रही है।

तदनुसार, अधिनियम की विद्यमान धारा 8 यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

राजेंद्र सिंह यादव,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम,
1992 (1992 का अधिनियम सं. 27) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

8. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.- राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी किसी भी अन्य सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची में सम्मिलित कर सकेगी जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना आवश्यक समझे और राज-पत्र में प्रकाशित होने पर अनुसूची तदनुसार संशोधित की गयी समझी जायेगी।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION
(PREVENTION OF UNFAIRMEANS) (AMENDMENT)
BILL, 2022**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 .

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows: -

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 27 of 1992.- In section 8 of the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 (Act No. 27 of 1992), after the existing expression “this Act and” and before the existing expression “upon the publication”, the expression “,exclude from the Schedule any public examination and” shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government enacted the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 to curb the use of unfair means in the public examinations.

Existing section 8 of the aforesaid Act provides that the State Government may include in the Schedule any public examination in respect of which it considers necessary to apply the provisions of this Act. But there is no provision for exclusion of any public examination from the Schedule to the said Act.

It has been considered expedient that the State Government should also have power to exclude any public examination from the Schedule to the said Act if it considers any public examination to be governed by a new enactment.

Along with the proposal of amendment in the Act of 1992 the State Government is also bringing a new Bill to provide for effective measures to prevent and curb the offences of leakage of question papers and use of unfair means at public examinations conducted for the purpose of recruitment to any post under the State Government.

Accordingly, the existing section 8 of the Act is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

राजेंद्र सिंह यादव,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN PUBLIC
EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIRMEANS)
ACT, 1992**

(Act No. 27 of 1992)

XX XX XX XX XX

8. Power to amend Schedule.- The State Government may, by notification in the Official Gazette, include in the Schedule any other public examination in respect of which it considers necessary to apply the provisions of this Act and upon the publication in the Official Gazette the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

XX XX XX XX XX

**THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION
(PREVENTION OF UNFAIRMEANS) (AMENDMENT)
BILL, 2022**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 .

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Secretary.

(Rajendra Singh Yadav, **Minister-Incharge**)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम)
(संशोधन) विधेयक, 2022

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम)
अधिनियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
सचिव।

(राजेंद्र सिंह यादव, प्रभारी मंत्री)